रजिस्टर्ड नं0 ल0-33/एस0एम 14/91.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार 6 अगस्त, 1991/15 श्रावण, 1913

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कारण बताओ नोटिस

धर्मशाला-176215, 29 जून, 1991

संख्या 1826-27.—क्योंकि ग्राम पंचायत चकवनधीण के अंकेक्षण अवधि 6-8-80 से 15-1-90 में निम्न पंचायत निधि के दुरुपयोग/छलहरण के मामले सामने आये हैं:—

(1) प्रधान पंचायत लगातार वर्ष 1980 से अब तक हजारों में पंचायत निधि अपने पास अनाधिकृत रूप से रखकर पंचायत को क्षति पहुंचाते रहे हैं। उसका उल्लेख अंकेक्षण पत्र के पृष्ठ 18 से 20 में है। 1/90 को भी प्रधान के पास मु0 5155.30 रुपये नकद शेष के रूप में थे। जब आपको दिनांक 10-4-91 को नकद शेष की राशि जमा करने के लिये कहा तो आपने व्यक्त किया कि मामला अदालत में चला है। नकद शेष की अदायगी पर रोक लगाई गई है। अदालत में चल रहे विवाद की पुष्टि में प्रतिलिपि 17-4-1991 तक जिला पंचायत अधिकारी को उपलब्ध करवाने का विश्वास दिया था परन्तु आज तक प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि आप वास्तविकता को छुपा कर पंचायत निधि का निरन्तर दुरुपयोग कर रहे हैं।

(2) मीनू प्रिंटिंग प्रैस, कांगड़ा से 454/- रुपये लेखन सामग्री का क्रय दिखाकर पंचायत रिकार्ड में न स्टाक की वस्तुओं का इन्द्राज पाया गया और प्रमाणक ही पाया गया। इससे स्पष्ट है कि 454/- रुपये का छलहरण हुआ है क्योंकि न लेखन सामग्री को प्राप्त ही किया गया है और न ही प्रयोग।

(3) प्राथमिक पाठशाला भवन लौहार लाहड़ी तथा खप्परनाला का कार्य मार्च 1987 को समाप्त हो गया था तो 31-3-87 को 30 बोरी तथा 20 बोरी तदनुसार क्रय करने का क्या औचित्य था । इस प्रकार (1650 + 1100) मु0 2750/- रुपये का छलहरण किया गया है ।

(4) प्रमाणक 6 दिनांक 10-6-85 के अनुसार सर्वश्री लाल मिस्त्री, अंग्रेज तथा बहादुर सिंह मजदूर के मास 4/85 के मस्ट्रोल संख्या 40 को रद्द करके मस्ट्रोल रजिस्टर संख्या 41 पर पुनः तैयार करके 2, 4 तथा 4 दिन तदनुसार बढ़ाकर मु0 120/- रुपये का छलहरण किया है ।

(5) स्लेट के क्रय पर डाला गया मास मार्च 89 में व्यय मु0 1000/- रुपये संदिग्ध है क्योंकि प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर नहीं और न हीं प्रधान द्वारा रसीद का सत्यापन ही किया गया है ।

(6) रसीद संख्या 1 से 62 बुक नं0 7 के अन्तर्गत गृहकर के जनवरी, 1987 में मु0 310/- रुपये प्राप्त किये परन्तु रोकड़ में इद्राज जनवरी 1989 को किया गया अर्थात दो वर्ष तक राशि का दुरुपयोग करते रहे हैं ।

(7) वर्ष 1987 में किये गए लौहार लाहड़ी और खप्परनाला स्कूल के कार्यों पर किये गये खर्च के व्यय के दिनांक को रोकड़ में दर्ज क्यों नहीं किया गया । बिलम्ब से इन्द्राज करना दुर्भावना का प्रतीक है ।

(8) अंकेक्षण के समय स्टेट बैंक पटियाला, सहकारी सभा धीण की पास बुकें प्रस्तुत न करने पर मु0 1120.11 तथा 1100/- रुपये की राशि की पुष्टि नहीं हो सकी । इससे स्पष्ट होता है कि तथ्यों को छुपाया जा रहा है ।

(9) खप्परनाला पाठशाला भवन में तीन खिड़कियों तथा एक दरवाजे के पल्ले नहीं लगाये गये हैं, फर्श नहीं किया गया है । इस प्रकार प्राथमिक पाठशाला भवन लौहार लाहड़ी में केवल दो दरवाजे के पल्ले लगाए गए हैं और खिड़कियों के पल्ले नहीं लगाये हैं ।

(10) धीण स्कूल भवन निर्माण में 1274.90 पैसे स्वीकृत अनुदान से अधिक व्यय किये गये हैं ।

अतः मैं, बी0 के0 अग्रवाल, अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला श्री ज्ञान चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत चकवनधीण, विकास खण्ड कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) तथा पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस देता हूं कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों का उत्तर इस पत्र की प्राप्ति के दस दिन के भीतर-भीतर अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हो जाना चाहिए । यदि विहित अवधि में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जाएगा कि आपको इस विषय में कुछ भी नहीं कहना है और विभाग आगामी आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा ।

बी0 के0 अग्रवाल,
अतिरिक्त उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, शिमला, जिला शिमला

अधिसूचना

शिमला-1, 22 जुलाई, 1991

संख्या सी0 सी0 एस0 11-15/77-6793-6873.—इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सी0 एस0 11-15/77-6077-6157, दिनांक 25-6-1991 की निरन्तरता में तथा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं

मुनाफाखोरी निरीधक आदेश, 1977 की धारा 3 (1) ई के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, पी० सी० कपूर, जिला दण्डाधिकारी, शिमला उपरोक्त आदेश की अनुसूची में दर्ज निम्नलिखित वस्तुओं के समस्त करों सहित अधिकतम परचून दरों का निर्धारण निम्न प्रकार से करता हूं :—

क्रमांक	अनुसूची नं० के अनुसार संख्या	वस्तु का नाम	समस्त करों सहित अधिकतम परचून दर
1	2	3	4
4.	17.	**पका खाना जो ढाबों व भोजनालयों में परोसा जाता है :**	
		1. पूरा खाना दाल, सब्जी, चावल व चपाती सहित खुराक	8.00 रु० प्रति खुराक
		2. स्पैशल सब्जी, राजमाह, चन्ना, गोभी, शिमला मिर्च, पालक, मटर	6.00 रु० प्रति प्लेट
		3. मटर पनीर, पालक पनीर	8.00 रु० ,, ,,
		4. चावल परमल	3.00 रु० ,, ,,
		5. चपाती तन्दूरी व दूसरी	0.75 पै० ,, चपाती
		6. मीट पका हुआ	12.00 रु० ,, प्लेट
		7. चिकन करी	14.00 रु० ,, ,,
		8. दही रायता (200 ग्राम)	3.00 रु० ,, ,,
		9. दो पूरी सब्जी व दही के साथ	3.00 रु० ,, ,,
		10. दाल फ्राईड	3.00 रु० ,, ,,
		11. परांठा स्टफड	1.50 रु० ,, परांठा
		मिठाई:	
		1. बर्फी, पिस्ता, कलाकन्द	38.00 रु० प्रति किलो
		2. बर्फी कोकोनेट	37.00 रु० ,, ,,
		3. सादी बर्फी मिल्क केक	37.00 रु० ,, ,,
		4. लड्डू मोतीचूर	28.00 रु० ,, ,,
		5. लड्डु मोटा	24.00 रु० ,, ,,
		6, लड्डु बेसन व बेसन की बर्फी	26.00 रु० ,, ,,
		7. जलेबी	24.00 रु० ,, ,,
		8. गुलाब जामुन पनीर की मिठाई	36.00 रु० ,, ,,
		9. बालूशाही, खुरपा, गाजर, मेहसु, पतीसा, मुंगी दाल, पिन्नी, अमरती	26.00 रु० ,, ,,
		10. सोन हलुआ	36.00 रु० ,, ,,
		11. मटर नमकीन, सेमियां, मुंगरा दाल, भुजिया	26.00 रु० ,, ,,
		12. पकौड़ा	24.00 रु० ,, ,,
		13. समोसा प्रति पीस	1.00 रु० प्रति पीस
		14. चाय प्रति कप	1.00 रु० प्रति कप
5.	18.	दही :	
		1. दही	10.00 रु० प्रति किलो

दुकानदार को दुकान में सहज दृष्टिगत स्थान पर मूल्य सूची प्रदर्शित करनी होगी और उस पर दुकानदार/भागीदार/प्रबन्धक के हस्ताक्षर व तिथि का होना अनिवार्य है।

यह आदेश हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने के पश्चात सारे शिमला जिला में एक माह की अवधि तक लागू रहेगा।

पी0 सी0 कपूर,
जिला दण्डाधिकारी, शिमला,
जिला शिमला।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4/30 जुलाई, 1991

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 16/76-16.—अधिसूचना संख्या 36-62/72 पंच-कांगड़ा, दिनांक 6 अक्तूबर, 1972 को आंशिक रूप से संशोधित करके, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अन्तर्गत जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 4 तथा 5 के अन्तर्गत प्राप्त हैं जिला कांगड़ा के विकास खण्ड नगरोटा बगवां की ग्राम सभा, सिद्धवाड़ी का पुनर्गठन निम्न प्रकार से करने के सहर्ष आदेश देते हैं :—

क्र0 सं0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित होने वाले ग्रामों के नाम	अपवर्जित ग्रामों से बनी ग्राम सभा का नाम तथा उसका मुख्यवास	कोष्ठ सं0 5 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
		विकास खण्ड नगरोटा: बगवां				
1.	सिद्धवाड़ी (सिद्धवाड़ी खास)।	1. चकबन 2. बाधनी 3. सिद्धवाड़ी खास। 4. रक्कड़ 5. रसां	—	सिद्धवाड़ी (सिद्धवाड़ी खास)।	कोष्ठ सं0 3 में वर्णित सभी गांव तथा योल कैंट से निकाले गए ग्राम 1. ठेहड़ू 2. चतैड़	क्योंकि ग्राम ठेहड़ू तथा चतैड़ योल छावनी से निकाले गए हैं और इन्हें निकटवर्ती ग्राम सभा सिद्धवड़ी में मिलाया जाना आवश्यक है।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

सचिव।

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 4 जुलाई, 1991

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 36/91.—क्योंकि श्री बलवन्त सिंह, निवासी गांव व डाकघर संधोट, जिला मण्डी की शिकायत पर प्रधान, ग्राम पंचायत संधोट, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी पंचायत निधि व भवन का कीमती सामान लकड़ी, स्लेट आदि को खुर्द-बुर्द करने में संलिप्त पाए गए हैं ।

यह कि इस मामले में विभाग द्वारा प्रारम्भिक जांच करवाई गई तथा निम्न मुद्दे उभरे हैं :—

1. यह कि पंचायत घर का छत उखाड़ कर उसका जो सामान स्लेट $9 \times 18'' = 2450$ काटी = 30 पीपल (10×10) गज 170 पीपल (4×5) तथा सिलिंग पट्टी 122 कापल आदि की प्रधान पंचायत ने नीलामी की और 7069/- रुपये प्राप्त किए परन्तु न तो छत उखाड़ने की अनुमति ली और न ही नीलामी किए जाने की स्वीकृति एवं नीलामी सम्बन्धी रिकार्ड रखा जिससे सामान खुर्द-बुर्द करने को नाकारा नहीं जा सकता ।

2. यह कि भवन की दिवारों की मुरम्मत करके बीम व स्लैब डाला गया जिसके लिए न तो तकनीकी विशेषज्ञ की राय ली गई और न ही स्लैब डालने से पहले सरिये, सीमेंट लगाने की तकनीकी सलाह ली गई । भवन की नींव भी पक्की नहीं की गई ।

3. यह कि भवन ठेका श्री रोशन लाल पुत्र खजाना को मु0 60,000 रुपये में बिना टैंडर बुलाये व तकनीकी सलाह लिए दिया गया जिसमें 52,000 हजार नकद देना था और 8,000/- रुपये का नीलामी का सामान । उस व्यक्ति को 2,600/- रुपये पेशगी जो बाद में वापिस लेकर 33,063-59 का सामान ईंटे, रेत, बजरी क्रय किया गया तथा नीलामी का 7,069 रुपये का सामान भी दिया गया इसके लिए मु0 25,000/- रुपये उपायुक्त से मुरम्मत के लिए स्वीकृत थे और 25,000/- जवाहर रोजगार योजना के अधीन खण्ड विकास अधिकारी से राशि ली गई जिसमें से मु0 22,000/- रुपये रोशन लाल को पेशगी में दिए गये । इस बारे न कोई प्लान, एस्टीमेट बनाया गया न ही प्रशासकीय स्वीकृति ली गई और क्योंकि उपरोक्त मामले में वास्तविकता जानने के लिए नियमित जांच का करवाया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) के अधीन उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), सरकाघाट, जिला मण्डी को जहां जांच अधिकारी नियुक्त करने का आदेश देते हैं । वह अपनी जांच रिपोर्ट उपायुक्त, मण्डी के माध्यम से शीघ्र प्रस्तुत करेंगे । वह अधीक्षक ग्रेड-2 कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, धर्मपुर (मण्डी) को प्रस्तुत कर्ता नियुक्त करते हैं जो जांच के दौरान सरकार का पक्ष भी प्रस्तुत करेंगे ।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।